न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी का नाम :— **श्री नारायण सिंह चारण, आर.ए.एस.**
अतिरिक्त कलेक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़

प्रकरण संख्या 05/2012 (राजस्व प्रार्थना पत्र) दायर दिनांक 05.03.2012

1. श्री देवीलाल पिता कालू सरगरा
2. श्री बाबरू पिता गोकल रेगर
3. श्री लेहरू पिता रूपा भील
4. श्री गोकल पिता नोला रेगर
5. श्री भैरूलाल पिता रूपा भील
6. श्री गोपीलाल पिता डालू
7. श्री लालचन्द पिता रूपा भील
8. श्री प्यारा पिता ईश्वर भील
9. श्री भैरूलाल पिता भूरा सरगरा
10. श्री भूरा पिता चतर्भुज भील
11. सर्व. वेणीराम पिता पोखर रेगर के बजाय— 1. श्री किशन व भगवतीलाल पिता वेणीराम 2. मु. शांतिबाई बेवा वेणीराम
12. श्रीमति छगनी पत्नी शंकर भील
13. श्री बाबरू पिता पोखर रेगर
14. श्री अमरचन्द पिता पोखर रेगर
15. मु. शांति बाई बेवा बगदीराम गर्ग
16. मु. तुलसीबाई बेवा मांगीलाल गर्ग
17. श्री खेमा पिता मोड़ा भील
18. श्री वेणीराम पिता भग्गा भील
19. श्री बाबरू पिता उंकार भील
20. श्री मांगू पिता उंकार भील
21. श्री माधू पिता उंकार भील
22. श्री शिवलाल पिता श्री कन्हैयालाल जयसवाल
23. श्री प्रभुलाल पिता कालू सरगरा
24. श्री रामलाल पिता चुन्नीलाल कलाल

सभी निवासी करजाली तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ .....प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री भैरूलाल पिता उदयराम ब्रहामण निवासी करजाली तहसील कपासन
2. सरकार जरिये तहसीलदार, कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

.....विपक्षीगण

कार्यवाही : — प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान उपनिवेशन (मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजना राजकीय भूमि आवंटन) नियम 1968 के नियम 17 (क) विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी, कपासन बमिसल नं. 4/2001 निर्णय दिनांक 22—12—2001

उपस्थिति : — वकील प्रार्थीगण :— श्री शिवनारायण जाट
वकील विपक्षीगण :— श्री लोकेश शर्मा, व नरेन्द्र दाधीच (अनुपस्थित)

निर्णय **दिनांक 31.01.2018**

उपरोक्त अनवान प्रकरण का संक्षिप्त मामला इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी, कपासन द्वारा ग्राम करजाली की आराजी नं. 2461 रकबा 0.66 हेक्टर भूमि दिनांक 22—12—2001 को मिसल नं. 4/2001 से विपक्षी संख्या 1 को आवंटन किया गया था। प्रार्थीगण द्वारा उक्त आवंटन को निरस्त करवाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान उपनिवेशन (मध्यम एवं लघु सिंचाई परियोजना राजकीय भूमि आवंटन) नियम 1968 के नियम 17 (क) के तहत पेश किया है । प्रार्थीगण का कथन है कि विपक्षी ने महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपा कर धोखे से आवंटन कराया गया। आवंटी न तो भूमिहीन है और न ही काश्तकार है, तथा मौके पर कब्जा भी नही है। आंवटीक स्वंय के नाम ग्राम चाकुडा तहसील कपासन में खाता सख्या 115 व 116 में कुल रकबा 1.93 हैक्टर भूमि आवंटि के पिता के नाम पर, ग्राम करजाली की खाता संख्या 12 मे रकबा 0.91 हैक्टर भूमि है व आंवटी के भाई के नमा पर ग्राम करजाली की खाता संख्या 417 में रकबा 4.70 हैक्टर भूमि दर्ज है। जबकि आंवटी इन तथ्यों को अपने आवदेन में विर्णित नही किया है। आवंटित आराजीयात आबादी से लगी हुई है व पूरी आराजीयात प्रार्थीगणों के रहने के काम आ रही है व एक इंच जमीन भी कभी भी काश्त के काम में नही आई है। आंवटी को भूमि का कब्जा नही दिया गया है फिर भी सारी कागजी कार्यवाही गलत तरीके से कर अवैध आवंटन करवाया गया है जो निरस्त योग्य है। विवादित आराजीयात पर सरकारी सहायता से इन्दिरा आवास भवन

भी बने हुए है। जिसका सत्यापन भी सरपंच ने किया है। इस भूमि पर सभी प्रार्थीगण के रिहायशी मकान व बाड़े बने हुए है। भूमि काबिल काश्त भी नहीं है जिससे यह भूमि आंवटन योग्य नही है। अतः प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विपक्षी संख्या 01 को किया गया आवंटन निरस्त किया जावे।

उपरोक्त अनवान प्रकरण माननीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी चित्तौड़गढ़ के प्रकरण संख्या 207/2011 एलआर अनवान भैरूलाल बनाम देवीलाल निर्णय दिनांक 14.02.2012 से इस न्यायालय का पूर्व निर्णरू दिनांक 22.07.2007 को निरस्त कर आवंटी अपीलान्ट को किया गया आवंटन यथावत रखते हुए निम्नांकित बिन्दूओं के संबंध में विस्तृत जांच कर दुबारा निर्णय पारित करने हेतु प्राप्त हुआ है।

1. आवंटी को कब्जा दिये जाने व प्रिमियम जमा होने के उपरान्त भी खातेदारी क्यों नही दी गई?
2. यदि खातेदारी देय नही थी, प्रिमियम जमा क्यों किया गया?
3. यदि आवंटित भूमि पर काश्त नही होकर अन्य लोगो का कब्जा है तो वह कितना, किस अवधि से व किसका है विवरण स्पष्ट करें।
4. उक्त अनुसार कब्जा पाये जाने पर काश्तकार के हित रक्षण के बजाय अतिक्रमी को तरजीह देने का क्या कारण है?
5. यदि भूमि सार्वजनिक उपयोग की थी तो आवंटन किस प्रकार की गई? जबकि आवंटन सलाहकार समिति ने विधायक,प्रधान, पंचायत समिति सदस्य, सरंपच व अनुसूचित जाति के सदस्य के हस्ताक्षर होकर जन प्रतिनिधीगण की सहमति व सम्मति से आवंटन किया गया।
6. आवंटी के प्रार्थना पत्र दिनांक 04.06.2010 पर समुचित कार्यवाही क्यों नही कि गई?
7. उक्त आवंटन संबंधी विवाद में पटवारी हल्का व तहसीलदार का क्या उत्तरदायित्व रहा है? कानूनी विवाद पेश होने पर भी रिपोर्ट अपूर्ण क्यों पेश की गई?

प्रकरण पर बहस वकील प्रार्थी सुनी गई जिसमें वकील प्रार्थी का कथन है कि उपरोक्त विवादित भूमि में प्रार्थीगण के बाडे, आवास व आबादि भूमि से आवंटन कर दिया है। वर्ष 2001 में उपखण्ड अधिकारी कपासन द्वारा विपक्षी भैरूलाल को आवंटन किया गया। प्रार्थीगण अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के गरीब व्यक्ति है। अप्रार्थी मुम्बई में रहते है तथा सम्पन्न है एवं भूमिहीन कृषक भी नही है। प्रभाव व पैसे के प्रयोग से भूमि का आंवटन करवाया गया है। इस संबंध में पूर्व में भी वर्ष 2007 में भी निर्णय किया जिसे राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा दिनांक 26.04.2010 से रिमाण्ड किया गया एवं पुनः दिनांक 22.07.2011 इस न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया जिस पर पुनः राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ दुबारा रिमाण्ड दिनांक 14.02.2012 को किया गया जिसमें अंवेक्षित तथ्यों की रिपोर्ट भी तहसीलदार कपासन द्वारा दिनांक 28.12.2016 को प्राप्त हो चुकी है। इस आराजीयात पर आवंटी का कब्जा नही है अतः आंवटन निरस्त योग्य है। दौबारा रिमाण्ड होने पर भी अप्रार्थी द्वारा कोई प्रभावी पक्ष प्रस्तुत नही किया है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जावे।

विपक्षी अधिवक्ता को बहस करने हेतु दिनांक 18.01.2018 को आगामी पेशी दिनांक तक लिखित बहस प्रस्तुत करने का अवसर देते हुए पत्रावली आदेश में रखी गयी तथा दिनांक 25.01.2018 को पुनः अवसर देते हुए पत्रावली आदेश में रखी गयी, किन्तु इस अवधि में अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा कोई लिखित बहस प्रस्तुत नही की गई है।

प्रकरण पर वकील अपीलान्ट की बहस के तथ्यों पर ध्यान किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया गया जिसमें उपखण्ड अधिकारी कपासन द्वारा ग्राम करजाली की आराजी नम्बर 2461 रकबा 0.66 हैक्टर भूमि विपक्षी श्री भैरूलाल पिता उदयराम खण्डेलवाल ब्राहमण निवासी करजाली को आवंटन किया गया। उक्त आवंटन के संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण संख्या 23/2006 (राजस्व प्रार्थना पत्र) अनवान देवीलाल बनाम भैरूलाल दर्ज होकर दिनांक 09.03.2007 को

निर्णित किया गया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार करके कार्यवाही विवरण में अंकित विपक्षीगण को आवंटित जमीन का भू आवंटन निरस्त किया जाता है। तहसीलदार कपासन वादग्रस्त जमीन को अपने कब्जे में लेकर राजस्व रेकार्ड मे बिलानाम दर्ज करें। इस निर्णय पर विपक्षी द्वारा अपील प्रस्तुत की गई जो माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ के प्रकरण संख्या 44/2007 एलआर अनवान भैरूलाल बनाम देवीलाल वगैराह निर्णय दिनांक 26.04.2010 को निर्णय पारित किया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अतिरिक्त कलक्टर प्रशासन,चित्तौड़गढ़ का आदेश दिनांक 09.03.2007 निरस्त किया जाता है,और प्रकरण प्रतिप्रषित कर निर्देश दिये जाते है कि उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए उपयुक्त विश्लेषण के अनुसार आंवटी अपीलान्ट के भूमिहीन होने एवं आवंटी को किये गये आवंटन की जांच की जाकर विधिसम्मत आदेश पारित करें। इस निर्णय पर इस न्यायालय में प्रकरण पर पुनः दिनांक 22.07.2011 को निर्णय पारित किया गया कि प्रार्थनीकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं विपक्षी को किया गया भू आवंटन निरस्त किया जाता है तहसीलदार कपासन को भूमि को कब्जे सरकार लेकर राजस्व रेकार्ड में बिलानाम दर्ज करने की कार्यवाही के आदेश दिये गये है। इस निणर्य के विरूद्ध पुनः माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी,चित्तौड़गढ़ के प्रकरण संख्या 207/2011 एलआर अनवान भैरूलाल बनाम देवीलाल वगैराह निर्णय दिनांक 14.02.2012 में प्रकरण रिमाण्ड कर निर्धारित बिन्दूओं पर विश्लेषण एवं विस्तृत कर कर दूबारा निर्णय पारित करने हेतु इस न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया।

माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ के निर्णय दिनांक 14.02.2012 में निर्धारित किये गये बिन्दूओं के सबंध में तहसीलदार कपासन से रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिनके पत्रांक राजस्व/2016/893 दिनांक 28.12.2016 से प्राप्त हुई कि मौके पर आंवटी का कब्जा नही होने से खातेदारी अधिकारी नही दिये गये, आंवटी द्वारा प्रिमियम राशि जमा कराई गई किन्तु मौके पर आवंटी का कब्जा नही होने से खातेदारी अधिकार नही दिये गये, मौके पर अन्य व्यक्तियों द्वारा कब्जा कर

...आ है, आवंटित भूमि पर आंवटी का कब्जा नही होने तथा आवंटी अपने पैतृक गांव ... व्यवसाय हेतु बाहर निवास करने से एवं मौके पर भूमि पडत होने से अन्य व्यक्तियों द्वारा कब्जा कर लिया है। भूमि का आवंटन सलाहकार समिति द्वारा किया ...या था। भूमि आंवटन होने के पश्चात आवंटन शर्तो की पालना नही की गई मौके ... भूमि पडत होने से ग्राम की आबादी एवं सडक के पास स्थित होने से तत्कालीन ...रपंच द्वारा अवैध कब्जा करवाया गया।

उपरोक्त विवरण एवं तथ्यों के आधार पर आवंटी द्वारा आवंटित भूमि पर ...बिज नही है तथा न ही फसल काश्त की है। मुताबिक तहसीलदार की रिपोर्ट ...नुसार भूमि पर अन्य व्यक्तियों का कब्जा होकर मौके पर आवास एवं बाडें के रूप ... भूमि का उपयोग हो रहा है तथा आवंटी अपने व्यवसाय हेतु पैतृक निवास स्थल से ...न्यत्र निवास करता है ऐसी स्थिति में उपखण्ड अधिकारी कपासन द्वारा किया गया ...वंटन निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर ग्राम करजाली तहसील कपासन की ...राजी संख्या 2461 रकबा 0.66 हैक्टर भूमि आवंटन दिनांक 22.12.2001 को निरस्त ...या जाता है तथा तहसीलदार कपासन को आदेश दिये जाते है कि उक्त भूमि को ...ब्जे सरकार लेकर बिलानाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने की कार्यवाही करें।

निर्णय आज दिनांक 31.01.2018 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर ...ाया गया।

(नारायण सिंह चारण)
अतिरिक्त कलेक्टर
(प्रशासन), चित्तौड़गढ़